संख्या- 20/603/बयालिस-2016-17(निर्माण)/2006

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2016**

विषय :- जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण के सम्बन्ध में संशोधित पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1144/नि0 फैजाबाद अन्तर्राष्ट्रीय क्रीडा संकुल/2014-15, दिनांक 18 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 2485/बयालिस-2006-17(निर्माण)/ 2006, दिनांक 17 जुलाई, 2006 एवं के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण के सम्बन्ध में मूल स्वीकृत लागत रू0 7999.52 लाख निर्गत की गयी थी। मूल स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के कारण श्री राज्यपाल पुनरीक्षित लागत रू0 13233.77 लाख की शासनादेश संख्या- 333/ बयालिस-2016-17(निर्माण)/2006, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अपेक्ष वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़ में से अवशेष धनराशि रू0 1096.94 लाख (रू0 दस करोड़ छियानबे लाख चौराबने हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि रू0 1096.94 लाख (रू0 दस करोड़ छियानबे लाख चौरानबे हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी जिसका उपयोग निर्माण ईकाई द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए नियमानुसार/आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त अवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3)- प्रायोजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकर आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- लेबर सेस में भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(5)- परियोजना की लागत में पुन: टाइम ओवर रन/कास्ट ओरवर रन न हो। इस हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैन्युअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन किया जायेगा। परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जायेगा।

(6)- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(8)- शासनादेश संख्या- 2485/बयालिस-2006-17(निर्माण)/2006, दिनांक 17 जुलाई, 2006, शासनादेश संख्या- 371/बयालिस-2011-17(निर्माण)/2006, दिनांक 10 फरवरी, 2011 एवं शासनादेश संख्या- 333/बयालिस-2016-17(निर्माण)/2006, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष, 2015-16 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-26-जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/ 2015/ बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अलु सचिव।

<u>संख्या- 20/603(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, फैजाबाद।
5- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
8- वित्त एवं लेखाधिकारी, खेल निदेशालय, लखनऊ।
9- नियोजन अनुभाग- 4
10- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अप्र सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in